261

न्यायालय श्री मान् राजस्व मंडल लिंक कोर्ट रीवा म०प्र०

1- रामसजीवन प्रसाद तनय श्री सदा शिव प्रसाद पाण्डेय उम्र 45 साल

2- सिद्धनाथ पिता सदा शिव प्रसाद पाण्डेय उम्र 71 साल

दोनो निवासी डिहियापहान तह० नईगढ़ी जिला रीवाम०प्र०

.... पुनरीक्षण कर्ता

R-1949-II/12

बनाम

1- मधुसूदन प्रसाद पाण्डेय तनय केमला प्रसाद पाण्डेय सा०डिहिया पहान तहसील नईगढ़ी जिला रीवाम०प्र०

2- म०प्र० शासन ..... गैर पुनरीक्षण कर्ता

अधिवक्ता श्री केशव प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत रीवा, दि० 6.06.2012

6.6.12

पुनरीक्षण न्यायालय तहसीलदार तहसील नईगढ़ी रीवा, प्र.क्र.9ए/2 -2010-11 आदेश दिनांक 23.8.11 पुनरीक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू. रा. संहिता

- - - - - - - - - - - - - - -

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्न है :-

- - - - - - - - - -

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तह० नईगढ़ी जिला रीवाका आदेश दिनांक 2-.8.11 बिना विधि व्यवस्थाओ का अवलोकन निरीक्षण किये पारित किया गयाहै जो विधिक एव प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्यहै ।

2- यह कि अधी० न्यायालय काआदेश दुर्भावना पूर्ण है अपीलाण्ट भूमि नं. 871 रकवा 312 आरे स्थित ग्राम डिहियापहान पटवारी हल्काहिनौती रा.नि.मं. खर्रा का पुश्तैनी मालिक भूमि स्वामी एव आधिपत्यधारी है । भूमि नं. 254/1 रकवा

क्र....2

रामसजीवन पाण्डेय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–1949-II / 12 जिला–रीवा

रामसंजीवन प्रसाद / मकसूदन प्रसाद पाण्डेय

(1)	(2)
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री अनुराग द्विवेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील नईगढ़ी, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 9 / ए-12 / 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 23.8.11 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 20.02.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य